IV-7/2/18

भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 889061

(1)

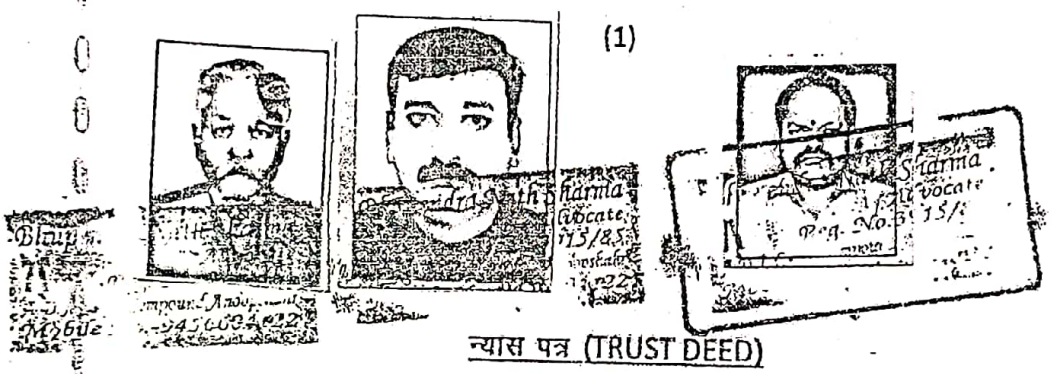

न्यास पत्र (TRUST DEED)

इस सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) का अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 10–05–2018 को श्री बालकिशन दास बंसल पुत्र श्री मीनसैन आयु 65 वर्ष, वर्तमान पता– मौहल्ला पाठक कस्बा जहाँगीराबाद जिला बुलन्दशहर जिन्हें संस्थापक कहा गया है, द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

मैं बालकिशन दास बंसल सर्वसाधारण के हितार्थ, शिक्षा के क्षेत्र व अन्य सामाजिक कार्य क्षेत्रों में सेवा करने के उद्देश्य से इस सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास (ट्रस्ट) का गठन कर रहा हूँ। इस निमित्त हेतु मैं अपने पास से रूपये 11,000/– (ग्यारह हजार रूपये) देकर इस न्यास का निर्माण करता हूँ।

इस पुनीत कार्य में मैं निम्न बन्धुओं को प्रन्यासी मनोनीत करता हूँ–

बालकिशन

IBG International School

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

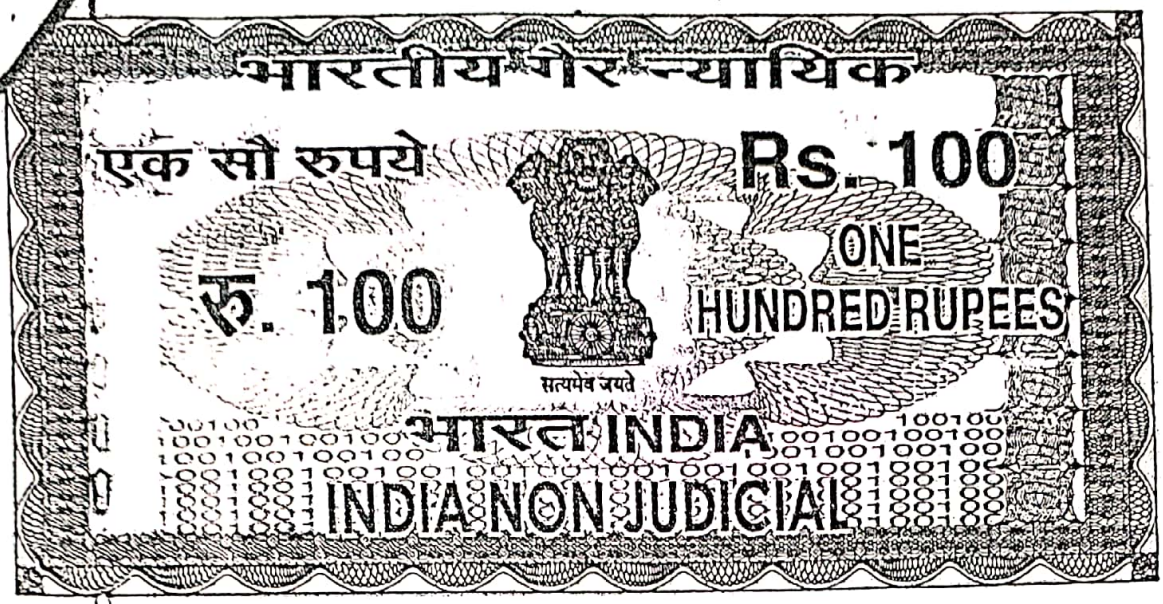

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ED 889062

(2)

1— श्री बालकिशन दास बंसल पुत्र श्री भीमसैन बंसल (65 वर्ष) निवासी मौहल्ला पाठक कस्बा जहाँगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 9456840301 पैनकार्ड सं0 AHAPD2701Q.

2— श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद (52 वर्ष) निवासी मौहल्ला पाठक कस्बा जहाँगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 9837471941 पैनकार्ड सं0 AGAPG6734D.

3— श्री प्रभात कुमार बंसल पुत्र श्री भीमसैन बंसल (54 वर्ष) निवासी मौहल्ला पाठक कस्बा जहाँगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 9761040562 पैनकार्ड सं0 AMAPK3275B.

4— श्री सौरभ गर्ग पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश (27 वर्ष) निवासी मौहल्ला पाठक कस्बा जहाँगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 8010639651 पैनकार्ड सं0 AVWPG3880H.

5— श्री कुलदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गिर्राज किशोर (58 वर्ष) निवासी मौहल्ला शिवपुरी, पीलीकोठी, खुर्जा जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 7417601860 पैनकार्ड सं0 ADLPK2970K.

बालकिशन दास

JBG International School, J.Bad

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

न्यास पत्र

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क 220 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 340

श्री बालकि[illegible] बंसल
पुत्र श्री भीम सैन बंसल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: मोहल्ला पाठक कस्बा जहांगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलंदशहर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/05/2018 एवं 02:58:13 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार गुप्ता
उप निबंधक :अनूपशहर
बुलन्दशहर

JBG International School, J.Bad

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

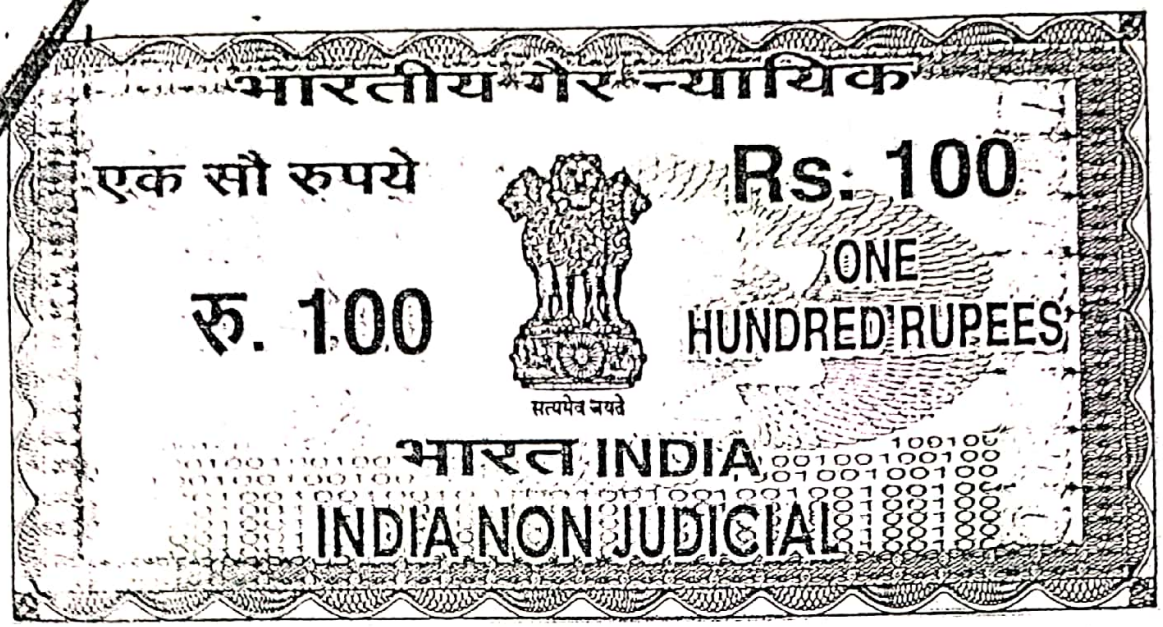

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 889063

(3)

6– श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद (54 वर्ष) निवासी मौहल्ला पाठक कस्बा जहाँगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 9412230279 पैनकार्ड सं0 AIEPP9380L.

7– श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गिर्राज किशोर (53 वर्ष) निवासी मौहल्ला शिवपुरी, पीलीकोठी, खुर्जा जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 9412657398 पैनकार्ड सं0 AAXPK0076B.

8– श्री उदित गर्ग पुत्र श्री रविन्द्र कुमार (25 वर्ष) निवासी मौहल्ला पुख्ता बाजार कस्बा जहाँगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 7503021217 पैनकार्ड सं0 AXAPG5682K.

9– श्री प्रशान्त बंसल पुत्र श्री बालकिशन दास बंसल (44 वर्ष) निवासी मौहल्ला पाठक कस्बा जहाँगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 9412857295 पैनकार्ड सं0 ADEPB6026E.

10– श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गिर्राज किशोर (56 वर्ष) निवासी मौहल्ला शिवपुरी, पीलीकोठी, खुर्जा जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 8791565700 पैनकार्ड सं0 AFJPA9748P.

JBG International School, Bad

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री बालकिशन पुत्र श्री भीम सैन बंसल

निवासी: मोहल्ला पाठक कस्बा जहाँगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलंदशहर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री दीपक जिन्दल , पुत्र श्री ब्रज किशोर जिन्दल

निवासी: नि० मोहल्ला इमली बाज़ार कस्बा अनूपशहर परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलंदशहर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

श्री प्रकाश चन्द्र गोयल , पुत्र श्री नानक चन्द्र गोयल

निवासी: नि० मोहल्ला इमली बाज़ार कस्बा अनूपशहर परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलंदशहर

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षत: भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार गुप्ता
उप निबंधक : अनूपशहर
बुलन्दशहर

JBG International School, Bsr

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

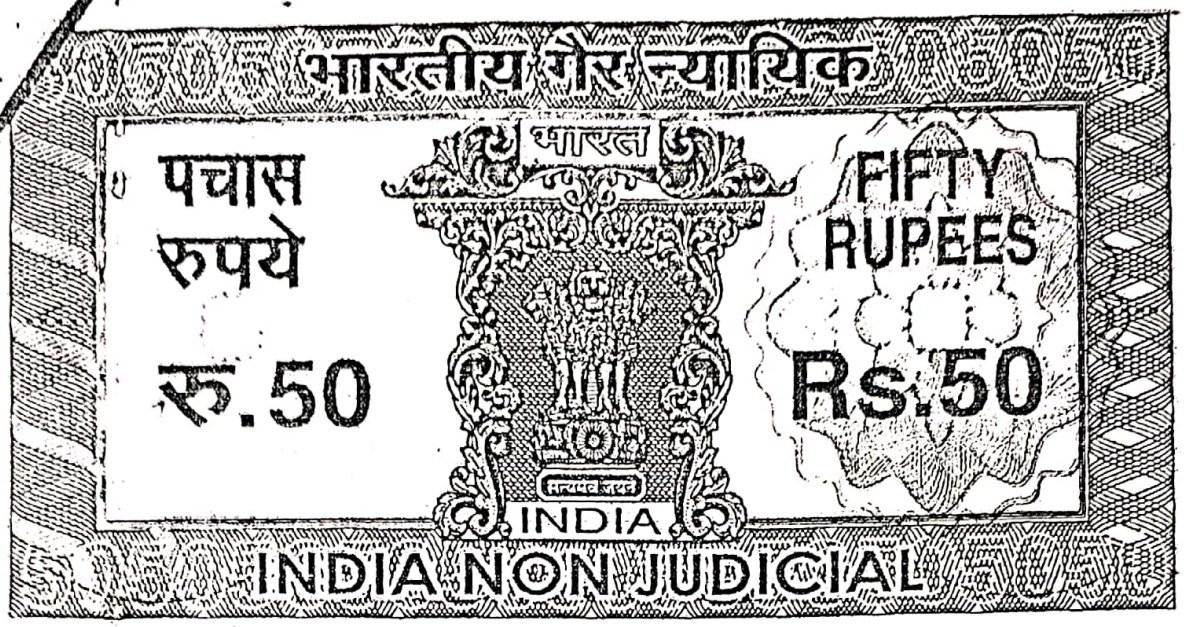

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 641493

11— श्री शोमित बंसल (नारायण) पुत्र श्री प्रभात कुमार बंसल (31 वर्ष) निवासी मौहल्ला पाठक कस्बा जहाँगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 9758303051 पैनकार्ड सं0 AOUPB1047C.

12— श्री चेतन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गिर्राज किशोर (46 वर्ष) निवासी मौहल्ला शिवपुरी, पीलीकोठी, खुर्जा जिला बुलन्दशहर। मोबाइल नं0 9927226162 पैनकार्ड सं0 ADYPK 3594N.

यही ट्रस्टीगण ट्रस्ट के संस्थापक प्रन्यासी तथा आजीवन सदस्य होंगे। इन्हें मुख्य प्रन्यासी भी कहा जायेगा तथा इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार भी होगा।

अतः इस अनुबन्ध पत्र के माध्यम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास (ट्रस्ट) की घोषणा करता हूँ। इस न्यास की शर्तें तथा नियम निम्न होंगे:—

1— इस न्यास (ट्रस्ट) का नाम <u>माँ अवन्तिका देवी एजुकेशनल ट्रस्ट (MAA AVANTIKA DEVI EDUCATIONAL TRUST)</u> रहेगा जिसे माँ अवन्तिका देवी एजुकेशनल ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

2— न्यास (ट्रस्ट) का पंजीकृत कार्यालय— पुख्ता बाजार, रामागंज कस्बा जहाँगीराबाद परगना व तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर रहेगा। परन्तु ट्रस्टीगण को

JBG International School

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

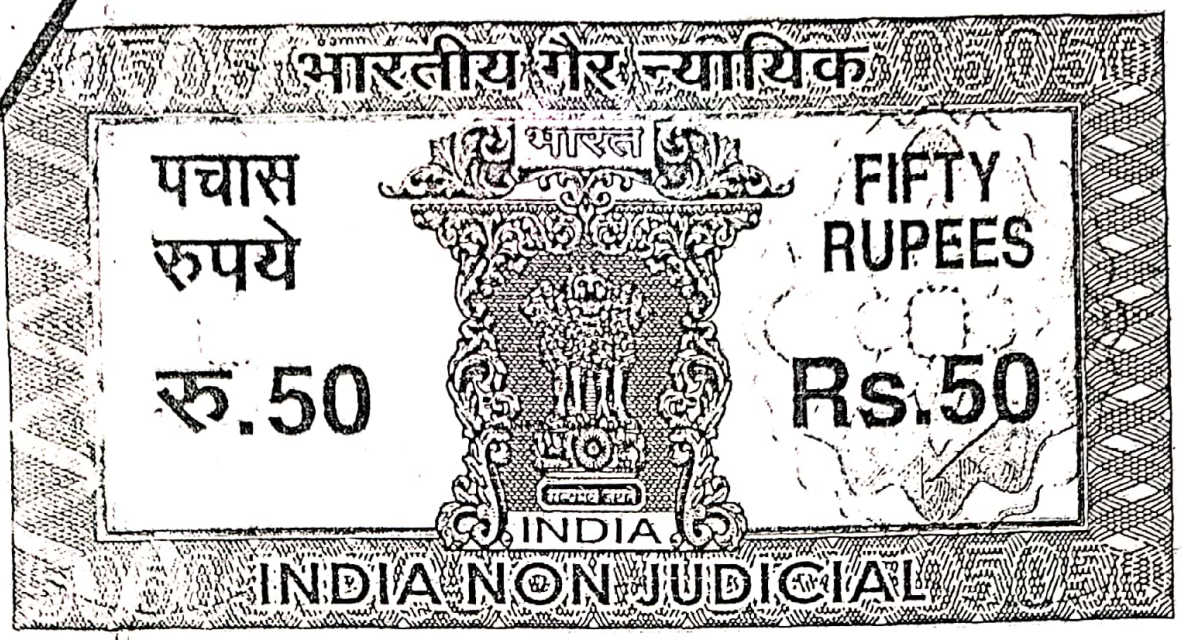

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 641492

अधिकार होगा कि वो उक्त कार्यालय को परस्पर सहमति से कहीं भी स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3– उपरोक्त आकांक्षा की पूर्ति के निमित्त तथा ट्रस्ट के सार्वजनिक एवं धर्मार्थ, उद्देश्यों जो नीचे उदधृत किये जा रहे हैं, की पूर्ति हेतु, संस्थापक द्वारा 11,000/– रुपये की जो राशि दी गयी है वह ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी। इस सम्पत्ति को किसी दशा में वापस नहीं लिया जा सकेगा।

4– <u>ट्रस्ट का कोष–</u> उपरोक्त रूपये 11,000/– रूपये के अतिरिक्त अन्य सहयोगी राशियाँ एवं सम्पत्ति (चल एवं अचल), दान, अनुदान, भेंट, ब्याज, किराया, निवेश, ऋण आदि अन्य किसी भी प्रकार की आय, जो न्यास को समय–समय पर प्राप्त होंगी, ट्रस्ट का कोष मानी जायेगी।

5– ट्रस्ट के उद्देश्य– ट्रस्टीगण भारत में सर्वसाधारण के हितों के लिए न्यास की सम्पत्ति और न्यास की आय का उपयोग करेंगे। न्यास द्वारा चलने वाले सेवा कार्यों में किसी नागरिक से उसके सम्प्रदाय, जाति, पन्थ, रंग आदि के कारण भेद नहीं किया जा सकेगा और ना ही किसी विशेष पंथ, सम्प्रदाय के हितों के लिए कार्य किया जायेगा।

न्यास (ट्रस्ट) के कार्यों का उद्देश्य किसी का उद्देश्य किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ अर्जन करना नहीं होगा, वरन् समस्त कार्य सभाव से किये जायेंगे तथा इसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जायेगा।

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

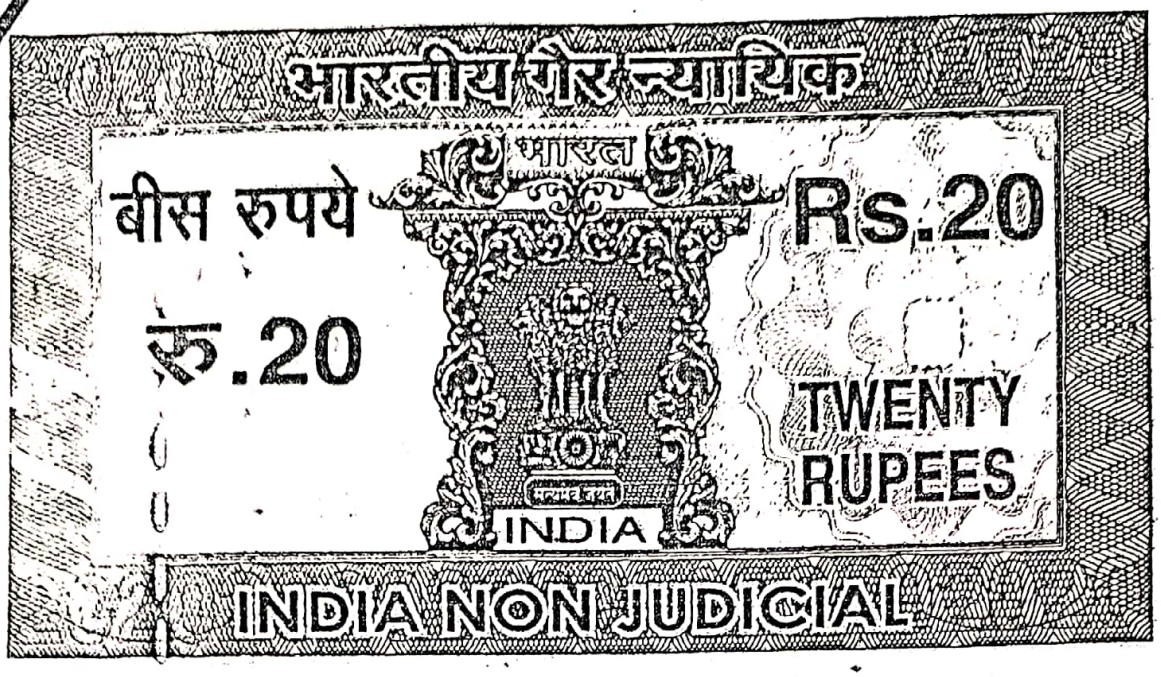

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 208373

(6)

6– ट्रस्टीगण/न्यासीगण, ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगणों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7– न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का अधिग्रहण, सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों से, करने का पूर्ण अधिकार होगा। विदेशी संस्थानों व एन0जी0ओ0 से आर्थिक सहायता प्राप्त करना व उससे संस्थान के उद्देश्यों की पूति करना तथा अन्य सोसाइटी व अन्य ट्रस्टों का उक्त ट्रस्ट में समायोजन करने का भी अधिकार होगा।

8– उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ट्रस्टीगण, ट्रस्ट फण्ड की आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

9– <u>ट्रस्ट के कार्य एवं उद्देश्य–</u>

क– समाज में शिक्षा के विकास के लिए कार्य करना। इस निमित्त नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्कूल, कालेज, तकनीकी शिक्षण, प्रावैधिक (टैक्नीकल) शिक्षण केन्द, फार्मेसी कालेज, डेन्टल कालेज, मेडीकल कालेज व लॉ

JBG International School J.Bad

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

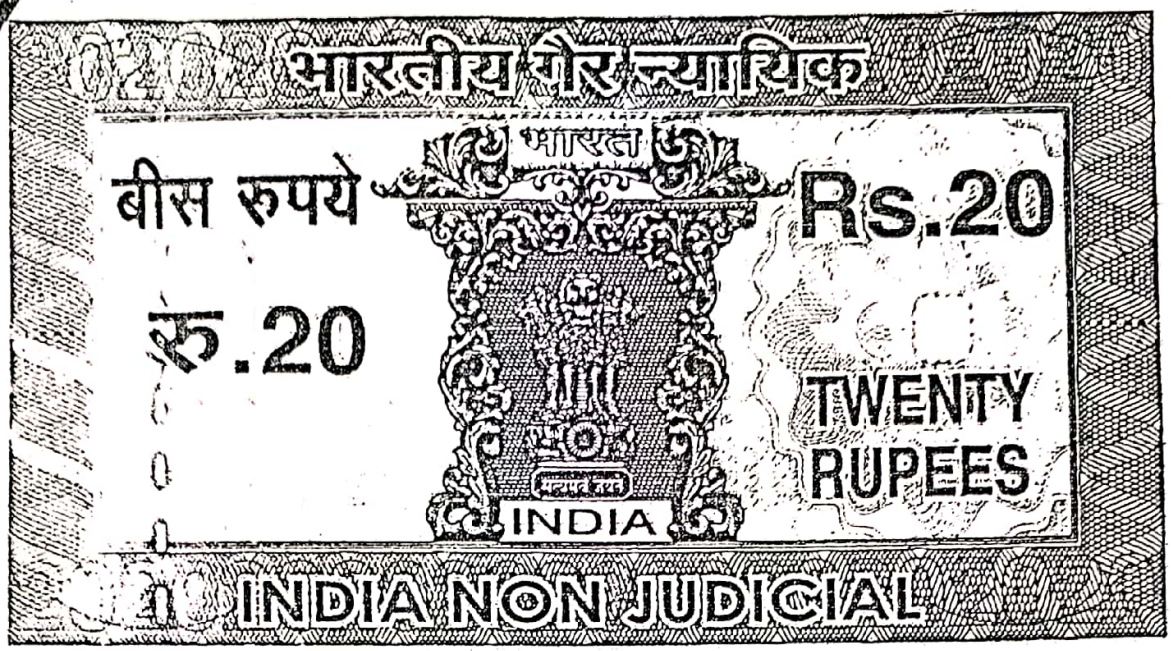

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7) 34AA 208374

कालेज, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक कालेज आदि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व संचालन करना।

ख– समाज के सभी कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति व जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान करना तथा इसके लिए स रकार से सहायता हेतु प्रयास करना।

ग– अस्पताल औषधालय, अनुसंधानशालाओं आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना।

घ– समाज में जरूरतमंद व्यक्तियों हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

ड– महिलाओं के कल्याण तथा उत्थान के लिए सिलाई केन्द्र, बुनाई केन्द्र, ब्यूटीशियन केन्द्र आदि तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्र खोलना तथा उनका संचालन करना।

च– प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र, फिजीकल एजुकेशन हेतु शिक्षण केन्द्र आदि की स्थापना करना तथा जागरुकता उत्पन्न करना।

छ– प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना तथा प्रदूषण नियन्त्रण के उपायों पर कार्य करना। स्कूल, कालेजों में पेड़ लगाना तथा छात्रों को जागरुक कराना तथा जागरुक करना।

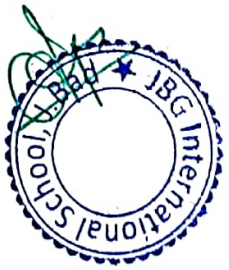

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (8) 34AA 208375

झ– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना, भूमि लीज पर लेना, उस भूमि पर निर्माण कार्य कराना तथा स्कूल, कालेजों, अस्पताल आदि का भवन निर्मित कराना।

ट– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चंदा, दान, अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना तथा ट्रस्ट की आय बढ़ाने हेतु सक्षम व्यक्तियों से आर्थिक व नैतिक सहयोग प्राप्त करना।

ठ– ट्रस्ट के उद्देश्यों हेतु कृषि भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति खरीदना, प्राप्त करना, लीज पर लेना, उन्हें क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।

ड– निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों, गायों आदि की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं इनके लिए चिकित्सालय, संरक्षण केन्द्र, गौशाला आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

ढ– वह सभी कार्य करना जो समस्त मानवजाति के लिए कल्याणकारी हों।

10– <u>कार्यक्षेत्र–</u>

न्यास (ट्रस्ट) का समस्त कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

11– <u>न्यास (ट्रस्ट) का प्रबन्धन एवं संचालन–</u>

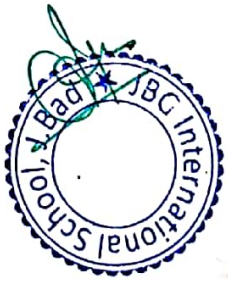

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (9) 34AA 208376

क— न्यास (ट्रस्ट) का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए प्रन्यासी मण्डल का गठन किया जायेगा जो कि न्यास के कोष एवं सम्पत्तियों आदि के संचालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। इस प्रन्यासी मण्डल में निम्न सदस्यों को शामिल किया जा सकेगा—

अ— संस्थापक/मुख्य प्रन्यासी सदस्य—

न्यास (ट्रस्ट) में संस्थापक प्रन्यासी सदस्य ही मुख्य प्रन्यासी सदस्य होंगे। इनकी अधिकतम संख्या बारह (12) रहेगी। ये सभी 12 संस्थापक/मुख्य प्रन्यासी सदस्य बिना किसी चुनाव आदि के सीधे ही प्रत्येक स्थिति में प्रन्यासी मण्डल के सदस्य होंगे। न्यास के वर्तमान 12 संस्थापक प्रन्यासी सदस्यों का उल्लेख पूर्व में कर दिया गया है। इन संस्थापक/मुख्य प्रन्यासी सदस्यों का उल्लेख पूर्व में कर दिया गया है। इन संस्थापक/मुख्य प्रन्यासी सदस्यों की सदस्यता आजीवन होगी तथा इन सभी सदस्यों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होगा। उत्तराधिकारी नियुक्त किये बिना मृत्यु होने पर उस सदस्य के उत्तराधिकारियों में से किसी एक को अथवा ज्येष्ठ पुत्र को उस सदस्य के स्थान पर सदस्यता देने का निर्णय शेष संस्थापक प्रन्यासी सदस्यों का होगा। संस्थापक प्रन्यासी सदस्यों को किसी भी स्थिति में (न्यायालय के आदेशों अथवा विधि समस्त स्थिति अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति के अतिरिक्त) उनके पद अथवा सदस्यता अथवा अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

मुख्य प्रन्यासी सदस्य अपनी इच्छा से अपने पद अथवा सदस्यता से त्याग पत्र दे सकते हैं जिसे अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा स्वीकार किये जाने पर ही मान्यता दी

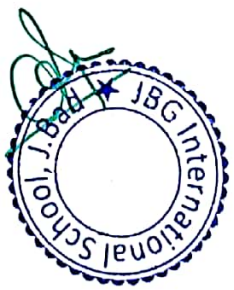

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10) 34AA 208377

जायेगी। इस प्रकार रिक्त पद को अन्य मुख्य प्रन्यासी सदस्यों द्वारा शेष मुख्य प्रन्यासी सदस्यों में से अथवा नये मुख्य प्रन्यासी सदस्य को सदस्यता प्रदान कर अथवा साधारण प्रन्यासी सदस्य की सदस्यता को मुख्य प्रन्यासी सदस्य के रूप में परिवर्तित कर, भरा जायेगा।

प्रन्यासी मण्डल के अन्य साधारण सदस्यों का चयन केवल मुख्य प्रन्यासी सदस्यों द्वारा आपसी सहमति/बहुमत के आधार पर किया जायेगा तथा अन्य साधारण प्रन्यासी सदस्यों को उनके पदों से हटाने अथवा सदस्यता समाप्त करने का अधिकार/निर्णय भी केवल मुख्य प्रन्यासी सदस्यों द्वारा आपसी सहमति/बहुमत के आधार पर लिया जायेगा।

<u>ब– साधारण न्यासी सदस्य–</u>

संस्थापक प्रन्यासी सदस्य आपसी सहमति से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों में से अथवा अपने क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान रखने वाले व्यक्तियों में से अथवा सामाजिक कार्यक्षेत्र में योगदान रखने वाले अथवा न्यास (ट्रस्ट) के उद्देश्यों के प्रति समर्पण रखने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता समझने पर साधारण न्यासी के रूप में न्यास की साधारण सदस्यता प्रदान कर सकते हैं। इन सदस्यों को सदस्यता देने के सम्बन्ध में निर्णय पूर्णतः संस्थापक/मुख्य प्रन्यासी सदस्यों का आपसी सहमति से होगा तथा इस निर्णय को किसी भी न्यायालय आदि में चुनौती नही दी जा सकेगी तथा उनकी सदस्यता को समाप्त करने अथवा पद से हटाने का निर्णय, संस्थापक प्रन्यासी सदस्यों द्वारा आपसी सहमति/बहुमत के आधार पर कभी भी लिया जा सकता है। इन सदस्यों को

JBG International School, J.Bad

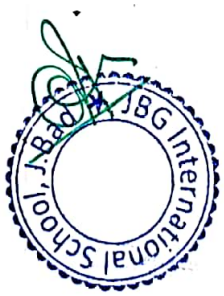

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

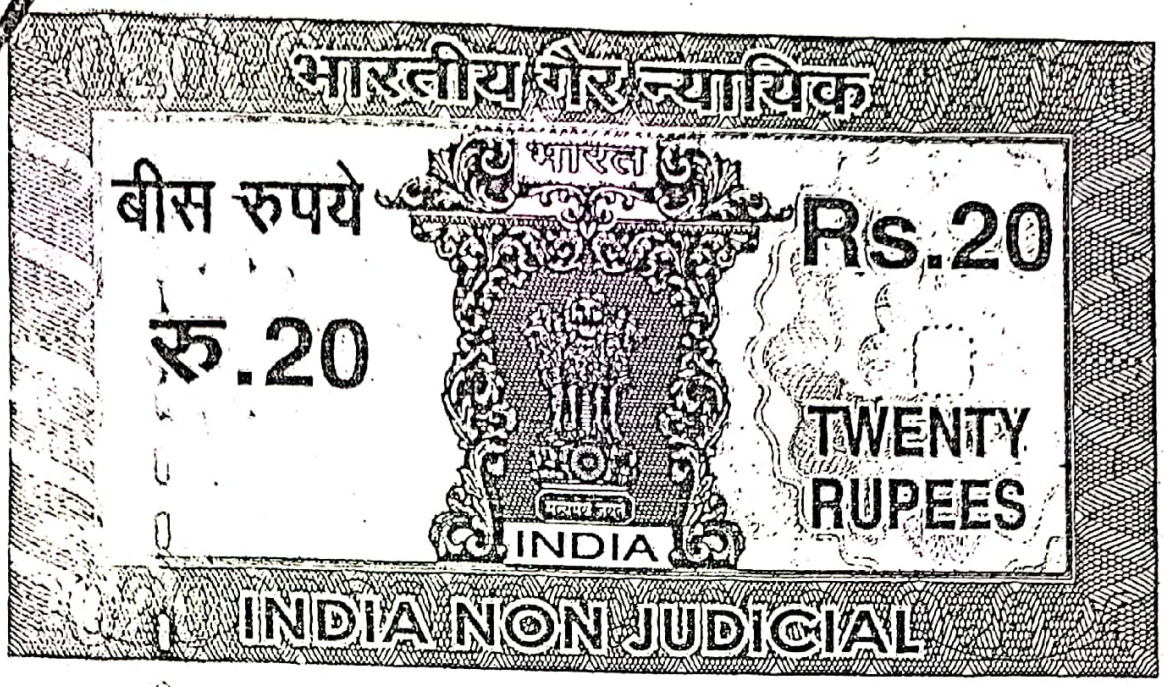

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (11) 34AA 208378

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष के मुख्य पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा तथा इन्हें उपरोक्त पदों के चुनाव में भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

स– पदेन प्रन्यासी सदस्य–

ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के प्राचार्य, अध्यापक प्रतिनिधि तथा गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी आवश्यकता पड़ने पर पदेन प्रन्यासी सदस्य बनाया जा सकता है। परन्तु इन सदस्यों की सदस्यता अस्थाई होगी तथा इनका कार्यकाल केवल एक वर्ष होगा तथा वे वरिष्ठता के चक्रीय क्रम में स्वतः परिवर्तित होते रहेंगे। ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा आवश्यकता समाप्त होने पर अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा इनका कार्यकाल समय पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। इन सदस्यों को किसी भी विषय या चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा तथा वे केवल अपना परामर्श बैठक में दे सकते हैं।

ख– साधारण स्थितियों में प्रन्यासी मण्डल में सदस्यों की संख्या छः (06) होगी जो कि मुख्य प्रन्यासी सदस्यों में से ही होंगे। परन्तु आवश्यक परिस्थितियों में यह संख्या अधिकतम 12 तक हो सकती है तथा पदेन प्रन्यासी सदस्य (आवश्यकता पड़ने पर) इनके अतिरिक्त होंगे।

उपरोक्त सदस्य संख्या में बारह मुख्य प्रन्यासी सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य, साधारण न्यासी सदस्यों में से चुने जायेंगे परन्तु साधारण न्यासी सदस्यों को कार्यसमिति के मुख्य पदों पर जैसे– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष हेतु नहीं चुना जा सकेगा तथा साधारण न्यासी सदस्यों को उपरोक्त पदों हेतु चुनाव में वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा। वे केवल कार्यसमिति के सदस्य के रूप में शामिल

J. Bad JBG International School

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

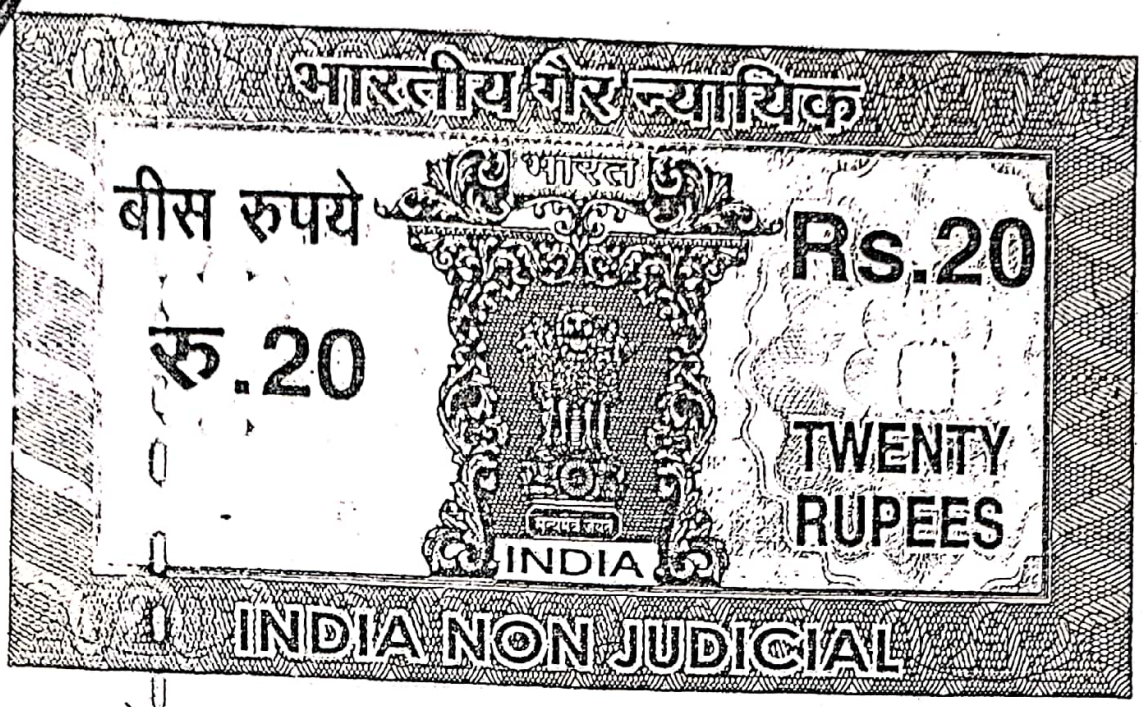

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

34AA 208379

हो सकते हैं तथा इसी पद हेतु नामित व्यक्ति को उन्हें अपना मत देने का अधिकार होगा।

ग– प्रन्यासी मण्डल अपने न्यासीगणों में से छः (06) सदस्यीय कार्यसमिति का गठन करेंगे जिसमें निम्न पद होंगे–

(अ) अध्यक्ष	(ब) उपाध्यक्ष	(स) प्रबन्धक
(द) सचिव	(य) कोषाध्यक्ष	(न) उपकोषाध्यक्ष

उपरोक्त पदों पर केवल संस्थापक/मुख्य प्रन्यासी सदस्यों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को ही नामित किया जा सकेगा। उपरोक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पदों का सृजन भी, मुख्य प्रन्यासी सदस्य आपसी सहमति से या मतदान द्वारा चुना जा सकेगा।

घ– कार्यसमिति का कार्यकाल तीन (03) वर्ष रहेगा तथा प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात नयी कार्यसमिति का गठन किया जायेगा जिसमें उपरोक्त पदों हेतु नामित सदस्य के पक्ष में वोट देने का अधिकार केवल संस्थापक/मुख्य प्रन्यासी सदस्यों को ही होगा।

ङ– आम स्थितियों में कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार केवल कार्यसमिति के सदस्यों को ही होगा। कार्यसमिति के सदस्य, आवश्यकतानुसार न्यास के अन्य सदस्यों को, कार्य समिति की बैठक हेतु आमन्त्रित कर सकते हैं।

च– कार्यसमिति के कार्यकाल के मध्य रिक्त स्थान की पूर्ति अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा प्रन्यासी सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को नामित कर की जायेगी। यह नियुक्ति केवल कार्यसमिति का कार्यकाल पूर्ण होने तक ही होगी।

JBG International School, J.Bad

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

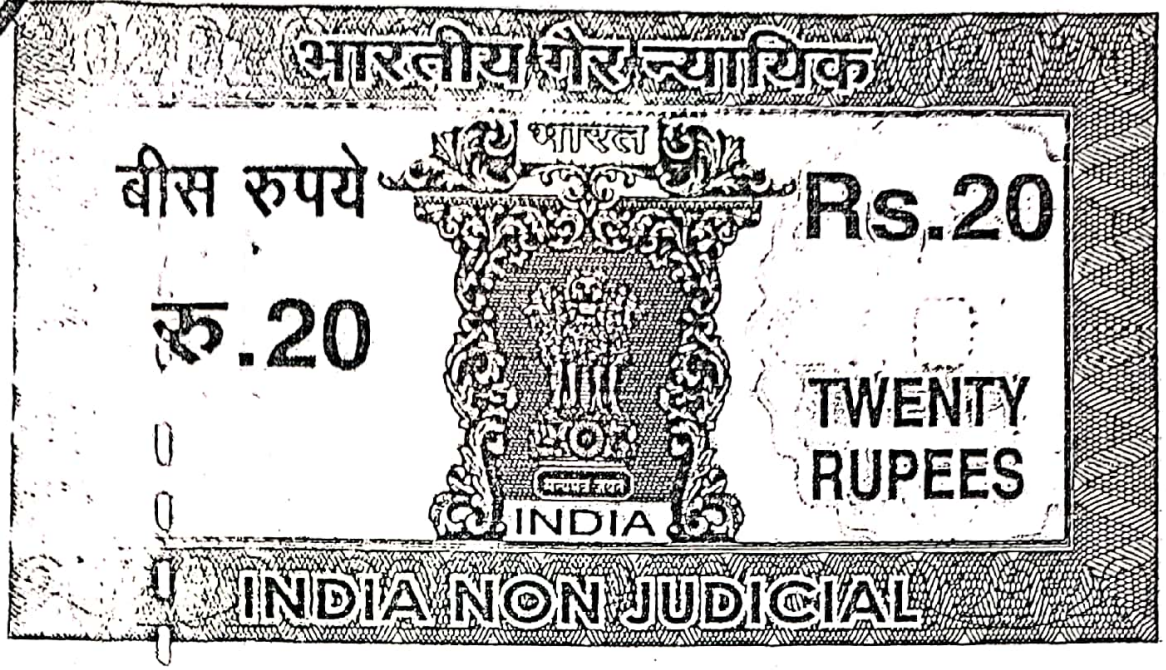

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

34AA 208380

छ– न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के संचालन हेतु न्यास की कार्यसमिति ही पूर्ण रूप से अधिकृत होगी।

ज– न्यास (ट्रस्ट) की प्रथम कार्यसमिति छः सदस्यीय निम्न प्रकार होगी–

1. बालकिशन दास बंसल पुत्र स्व0 श्री भीमसैन बंसल (प्रबन्धक)
2. कुलदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गिर्राज किशोर (अध्यक्ष)
3. रविन्द्र कुमार गर्ग पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद (उपाध्यक्ष)
4. प्रभात कुमार बंसल पुत्र स्व0 श्री भीमसैन बंसल (सचिव)
5. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व0 श्री जंगदीश प्रसाद (कोषाध्यक्ष)
6. मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गिर्राज किशोर (उपकोषाध्यक्ष)

12. <u>कार्य समिति के पदाधिकारियों के दायित्व एवं अधिकार–</u>

<u>क– अध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार–</u>

(अ) सभी बैठकों व सभाओं की अध्यक्षता करना/सभापति तय करना।

(ब) ट्रस्ट की बैठकों को समय से बुलाने हेतु व ट्रस्ट का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए सचिव को निर्देश देना व सहयोग करना।

(स) ट्रस्ट के दस्तावेजों, अभिलेखों आदि पर हस्ताक्षर करना तथा ट्रस्ट की सभी कानूनी कार्यवाही में सचिव को सहयोग करना।

(द) किसी भी प्रस्ताव पर कार्यसमिति या प्रन्यासी मण्डल की सभा में समान मत आने पर निर्णायक मत देना।

01/01/2010

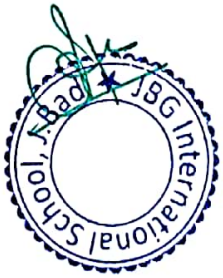

J. Bad ★ JBG International School

Scanned by CamScanner

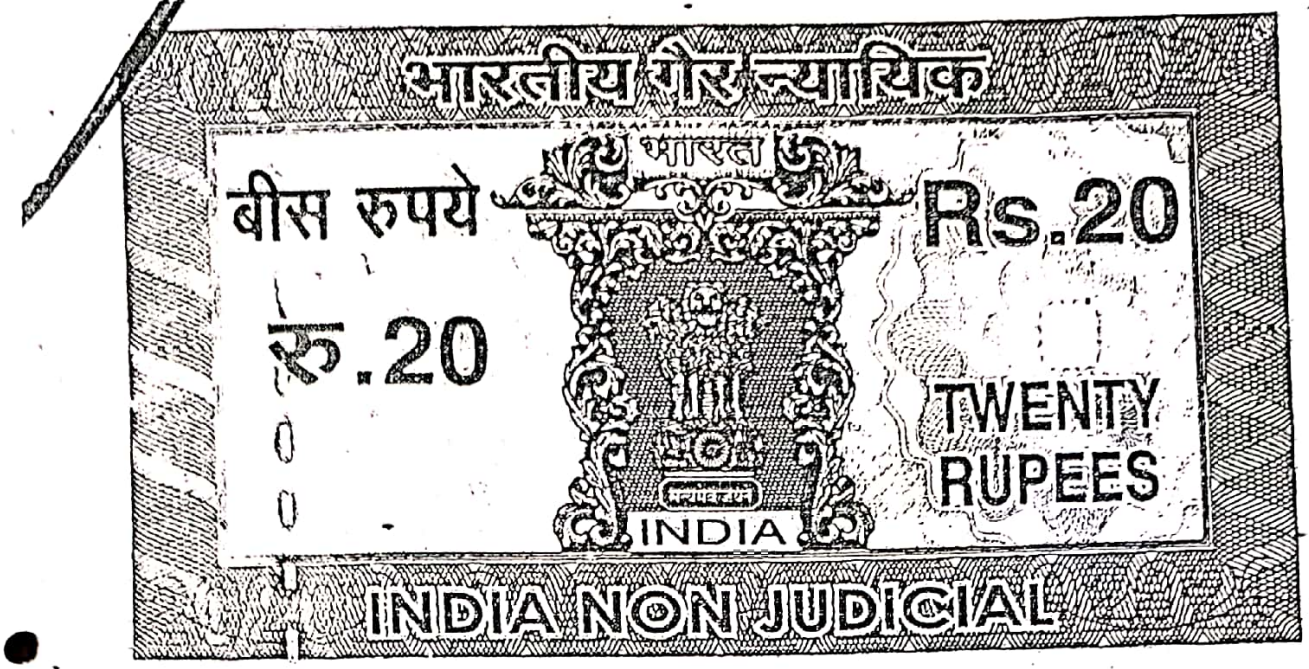

(घ) कार्यसमिति का विघटन होने पर नियमानुसार सचिव को कार्य संचालन का निर्देश देना व नयी कार्यसमिति के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण कराना।

ख– <u>उपाध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार–</u>

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्यों का निर्वाह करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये वही कार्य वैध होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा करा लिया जायेगा।

ग– <u>सचिव के दायित्व एवं अधिकार–</u>

(अ) अध्यक्ष के निर्देशानुसार समय–समय पर कार्य समिति एवं प्रन्यासी मण्डल की बैठक बुलाना।
(ब) बैठक की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना एवं बैठक में रखे गये प्रस्तावों एवं सुझावों हेतु आवश्यक प्रपत्र संकलित करना।
(स) ट्रस्ट के द्वारा अथवा विरुद्ध चलने वाले न्यायिक कार्यों/मुकदमों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना अथवा किसी को अधिकृत करना।
(द) न्यास के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु न्यास के हित में निर्णय लेना एवं न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थानों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
(घ) ट्रस्ट के समस्त आय–व्यय, दान, अनुदान, ऋण, चन्दा आदि का लेखा–जोखा रखना।

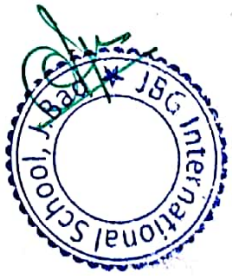

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 208382

(न) ट्रस्ट के वार्षिक आय–व्यय का विवरण, आगामी वित वर्ष के लिए बजट तथा ट्रस्ट के वार्षिक कार्यों की आख्या तैयार करना तथा कार्यसमिति के समक्ष रखना।

(प) ट्रस्ट के सभी दस्तावेजों को जिनसे ट्रस्ट का सम्बन्ध है, अपने संरक्षण में रखना और आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करना।

(फ) ऐसे किसी भी विषय में जिसमें समिति अथवा कार्यसमिति के सदस्यों से परामर्श करने का समय न हो, तुरन्त निर्णय लेकर कार्यवाही करना।

(ब) ट्रस्ट के सभी बैंक खातों का संचालन, कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से करना।

घ– कोषाध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार–

(अ) ट्रस्ट के सभी वित्त सम्बन्धी कार्य सचिव के निर्देशानुसार करना।
(ब) आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करके सचिव को प्रस्तुत करना।
(स) अध्यक्ष व सचिव के निर्देशानुसार बिलों का भुगतान करना।
(द) प्राप्त दान, अनुदान, चन्दा तथा ऋण आदि का लेखा–जोखा तैयार करना।
(ध) आगामी वित वर्ष के लिए सचिव की सलाह से ट्रस्ट का बजट तैयार करना।

ङ– उपकोषाध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार–

कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष के सभी कार्यों का निर्वाह करना।

च– सदस्य कार्यकारिणी के दायित्व एवं अधिकार–

JBG International School

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

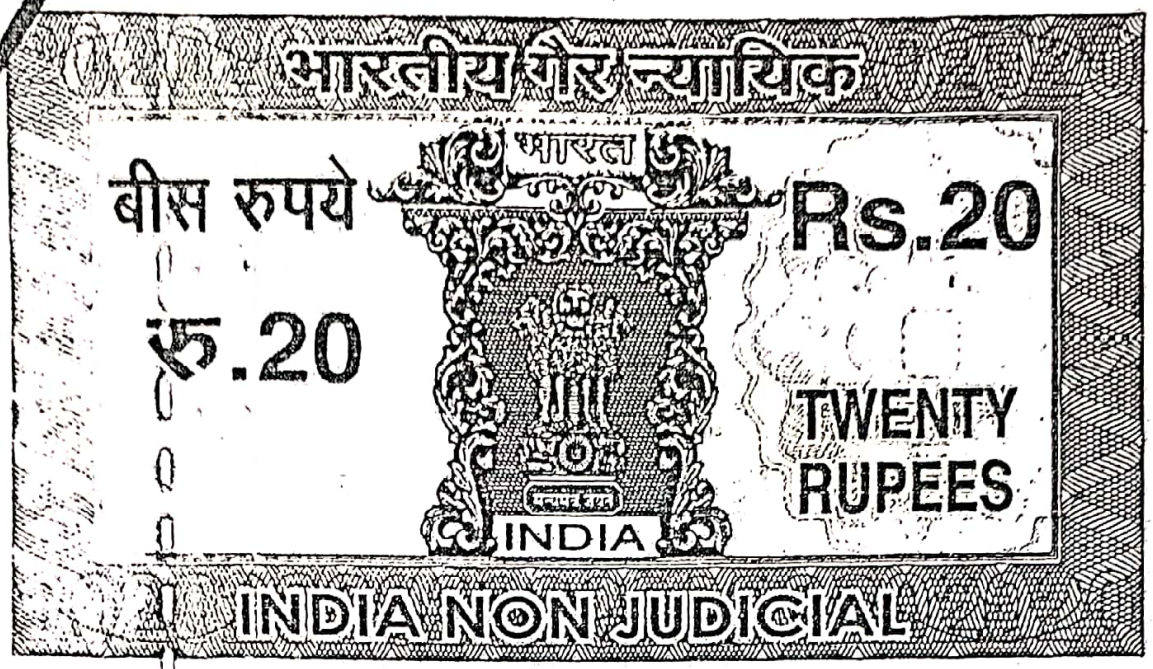

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (16) 34AA 208383

(अ) सचिव के कार्यों में सहयोग करना।
(ब) कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ विषयों पर अपना मत देना।
(स) ऐसे सभी कार्यों में सहयोग देना जिनमें अध्यक्ष तथा सचिव उनसे उपेक्षा करें।

छ– पदेन सदस्यों के दायित्व–

(अ) संस्था के विकास व संचालन के महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में ट्रस्ट की कार्यकारिणी को अवगत कराना तथा अपनी सलाह देना।
(ब) संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति में सहयोग करना तथा उनके आचरण व कार्य व्यवहार के सम्बन्ध में अपनी आख्या सचिव को देना।
(स) संस्था के संचालन में सचिव को सहयोग करना।
(द) कार्यकारिणी के चुनाव को छोड़कर वे उन सभी कार्यों में भाग लेंगे जिनमें कार्यकारिणी द्वारा उन्हें शामिल किया जायेगा।

13– <u>कार्यसमिति व प्रन्यासी मण्डल की बैठक–</u>

सामान्य स्थितियों में कार्यसमिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में तथा प्रन्यासी मण्डल की बैठक एक वर्ष में बुलायी जायेगी। परन्तु आवश्यक स्थितियों में इन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। बैठक सात दिन पूर्व सदस्यों को सूचना दी जायेगी। परन्तु आपात/ अति आवश्यक स्थिति में मात्र एक दिन पूर्व ही अथवा उसी दिन भी सूचना देकर बैठक बुलायी जा सकती है।

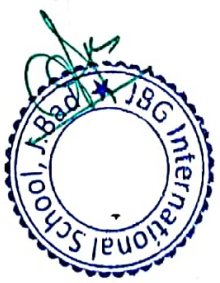

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
TWENTY RUPEES
भारत
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
34AA 208384

14– बैठक का कोरम–

(अ) कार्यसमिति व प्रन्यासी मण्डल की बैठक में 75 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। यह बैठक का कोरम होगा। इससे कम उपस्थिति होने पर बैठक स्थगित कर नयी तिथि पर बैठक दोबारा बुलायी जायेगी।
(ब) कोरम के अभाव में स्थगित होने पर दोबारा बुलायी गयी बैठक के लिए कोरम की पूर्ति की अनिवार्यता नहीं होगी।

15– कार्यसमिति का चुनाव व गठन–

कार्यसमिति का गठन प्रत्येक 3 वर्ष हेतु किया जायेगा परन्तु अपरिहार्य कारणों / स्थितियों में अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष की परस्पर सहमति से 3 वर्ष पूर्व कार्यसमिति का विघटन, नयी कार्यसमिति का गठन किया जा सकता है।

कार्यसमिति में कम से कम 5 सदस्य, मुख्य प्रन्यासी सदस्यों में से लिये जायेंगे तथा यदि कार्यसमिति में अन्य सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव हो तो शेष सदस्य, साधारण प्रन्यासी सदस्यों में से चुने जायेंगे। सदस्य पद पर पद हेतु नामित व्यक्ति को मत देने का अधिकार सभी प्रन्यासी सदस्यों को होगा। चुनाव की घोषणा, कार्यसमिति का कार्यकाल पूर्ण होने के एक माह पूर्व की जायेगी तथा समस्त चुनाव की कार्यवाही एक ही दिवस में पूर्ण की जायेगी।

16– न्यास के समुचित प्रबन्धों के लिए कार्यसमिति को निम्न अधिकार होंगे–

JBG International School, Bad

Scanned by CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (18) 34AA 208385-

(अ) कार्यसमिति को संस्था के धन का उपयोग, संस्थान के समस्त उद्देश्यों अथवा किसी एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, व्यय करने का अधिकार होगा। संस्थान का शेष अतिरिक्त धन का विनियोग आयकर कानून 1961 के अनुसार किया जायेगा।

(ब) संस्थान के लिए दान, भेंट में धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त कर उसको पूँजी के रूप में प्रयोग करना अथवा संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना।

(स) संस्थान की सम्पत्ति को किराये, लीज आदि पर देना। चल-अचल, दर्शनीय/अदर्शनीय सम्पत्ति के सम्पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों, उनसे प्राप्त लाभों तथा उनकी व्यवस्था का अधिकार होगा। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास की किसी भी सम्पत्ति को बेचना आदि अधिकार भी होंगे।

(द) संस्थान के कोष को समय-समय पर विनियोग करना, उसको निकालना, दूसरे स्थान पर विनियोग करना एवं विनियोग धन को वापिस प्राप्त करना आदि।

(ध) किसी भी प्रकार के विवाद में आवश्यकतानुसार निर्णय लेना एवं विवाद हल न होने पर या न्यास के समाप्त पर न्यास की सम्पत्ति को मुख्य प्रन्यासी सदस्यों के बहुमत से केवल समउद्देश्य वाली पंजीकृत संस्था/समिति को ही हस्तान्तरित करना।

(न) संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु बैंक, संस्था, व्यक्ति, प्रन्यासीगण एवं कम्पनियों से ऋण प्राप्त करना एवं इस निमित्त संस्था की जमीन जायदाद को गिरवी, रहन रखना आदि।

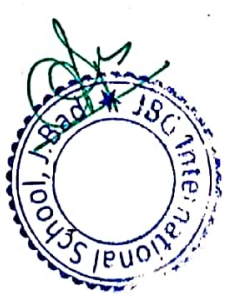

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (19) 37AA 497254

(प) कार्यसमिति, न्यास के संचालन के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होगी एवं कार्यसमिति के समस्त सदस्य अपने पदो के अनुरूप अपने–अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(फ) कार्यसमिति, संस्थान के दिन–प्रतिदिन के उचित प्रबनध के लिए आवश्यकतानुसार किसी योग्य व्यक्ति को पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशासक नियुक्त कर सकेगी। प्रशासक के कार्यकाल तथा वेतनमान और उसके कार्यों/दायित्वों का निश्चय कार्यसमिति करेगी।

(म) न्यास का धन किसी राष्ट्रीयकृत/सरकारी/शेडयूल्ड बैंक में रखा जायेगा। बैंक खातों का संचालन सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा होगा। आवश्कता होने पर संस्था के छात्रनिधि अथवा अन्य आवश्यक खातों का संचालन सचिव तथा प्राचार्य/सम्बन्धित प्राध्यापक/कर्मचारी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा होगा।

(ब) कार्यसमिति, संस्थान के आय–व्यय की जाँच के लिए निश्चित अवधि के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति करेगी, तथा उसके लिए पारिश्रमिक/मानदेय भी निश्चित करेगी।

(भ) संस्था को हुई हानि के लिए कोई प्रन्यासी अथवा कार्यसमिति का पदाधिकारी, व्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरदायी नहीं माना जायेगा जब तक यह सिद्ध नहीं होगा कि उसने निहित स्वार्थवश जानबूझकर संस्था को हानि पहुँचायी है।

(म) संस्था के सभी नियमों आदि की परिभाषा के सन्दर्भ में उत्पन्न विवाद में न्यास के अध्यक्ष का निर्णय सभी को मान्य होगा और अन्तिम होगा।

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (20) 37AA 497255

17– सदस्यता की समाप्ति–

निम्न कारणों से किसी प्रन्यासी की सदस्यता समाप्त हो जायेगी–

(अ) त्यागपत्र देने तथा उसके स्वीकृत होने पर अथवा मृत्यु होने पर।
(ब) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर अथवा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित होने पर।
(स) पागल घोषित होने पर।
(द) न्यास के हितों के विपरीत कार्य करने पर कार्यसमिति द्वारा उनके 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर।
(ध) संस्थापक प्रन्यासी सदस्यों द्वारा बहुमत से हटाये जाने पर।

18– न्यास के समस्त सम्पत्ति और आय का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा। लाभांश, सुविधा, अनुग्रह आदि के रूप में अथवा संस्थान की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के किसी भी अंश मात्र को भी प्रन्यासीगणों को ना तो प्रदान और ना ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा। आयकर अधिनियम और देश के कानून के अनुसार माने जाने वाले निहित स्वार्थों वाले लोगों को भी यह नहीं हो सकेगा। परन्तु संस्थान की उसके हितार्थ सेवा करने वाले कर्मचारियों, अन्य व्यक्तियों तथा प्रन्यासीगणों को सेवा कार्य के आधार पर समय–समय पर वेतन, पारिश्रमिक आदि प्रदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इस वेतन,

JBG International School

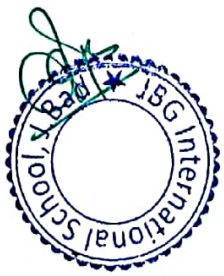

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

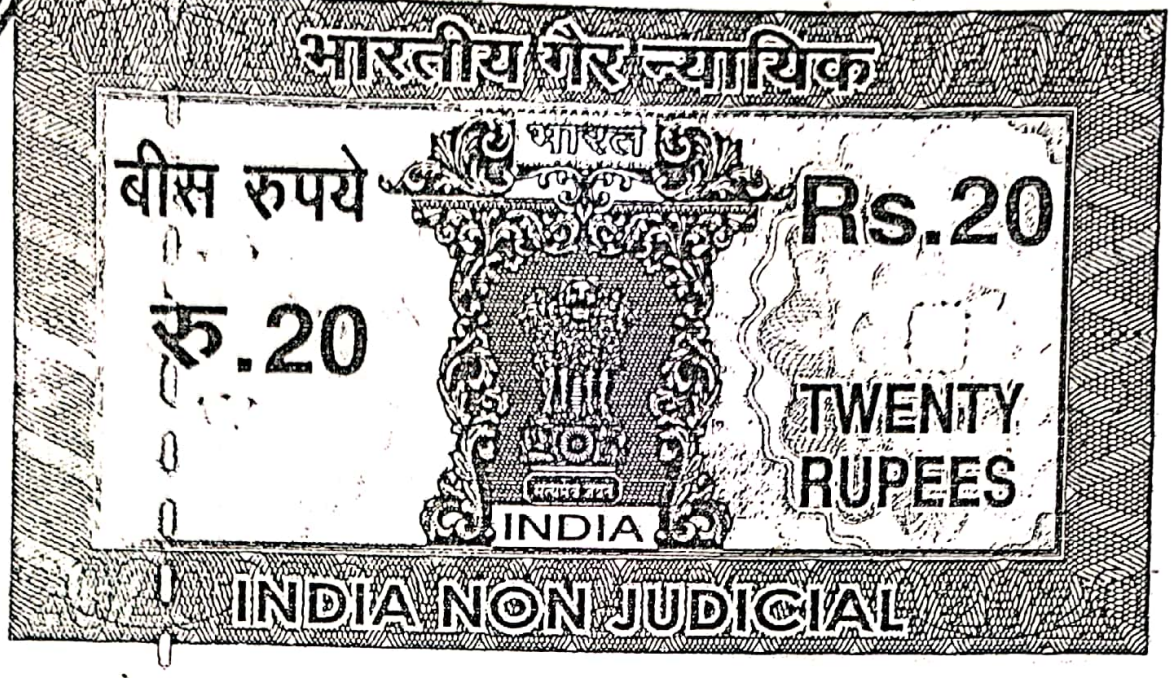

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (21) 34AA 208362

पारिश्रमिक का निर्णय किये गये कार्य तथा कार्य करने वाले की योग्यता के आधार पर समय–समय पर कार्यसमिति द्वारा किया जायेगा।

19– <u>न्यास भंग होने पर–</u>

प्रन्यासी मण्डल द्वारा उसके 3/4 प्रन्यासीगणों के निर्णय से न्यास को भंग किया जा सकेगा। न्यास भंग होने पर न्यास की समस्त देनदारियों का भुगतान करने के उपरान्त शेष धन और चल व अचल सम्पत्ति को किसी दूसरी अथवा अनेक, समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं को प्रदान किया जायेगा। इसका निर्णय भी कार्यसमिति द्वारा सर्वसम्मति से किया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान की सम्पत्ति को प्रन्यासी मण्डल के सदस्यों में नहीं बांटा जा सकेगा।

20– उत्तर प्रदेश शासन की राजाज्ञा संख्या 2762/15–13–91–41461/91, दिनांक 31–11–1991 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रतिबन्धों को स्वीकार कर लिया गया है।

<u>प्रतिबन्ध निम्नलिखित है–</u>

1– विद्यालय की प्रबन्धन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

2– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक

J. Badl ★ JBG International School

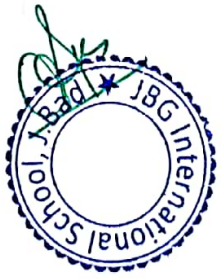

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (22) 34AA 208363

शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से या बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कॉसिल फार दा इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामीनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उससे सम्बन्धित सभी उचित कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

4— संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

5— कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमान्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

6— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

7— विद्यालय को रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।

8— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

JBC International School, J. Bad

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु. 10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

51AD 461144

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(23)

उक्त सभी क्र0सं0 1 से 8 तक प्रतिबन्धों को संस्था के विधान में सहर्ष सम्मलित किया जाता है।

विशेष–

ट्रस्ट और न्यास तथा ट्रस्टी व ट्रस्टीगण और प्रन्यासी पर्यायवाची शब्द है। संस्था का अर्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों से है।

अतः इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर मैं इस न्यास की घोषणा करता हूँ तथा सभी 12 ट्रस्टी सदस्यों ने भी सदस्यता स्वीकार कर ली है।

फोटो प्रमाणित मसौदाकार द्वारा हैं।

मसौदाकारः– भूपेन्द्रनाथ शर्मा एडवोकेट

टाइपकर्ताः उमाशंकर वार्ष्णेय

दिनांकः 10–05–2018

स्थानः अनूपशहर

JBG International School

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 161 के पृष्ठ 243 से 284 तक क्रमांक 7 पर दिनांक 10/05/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार गुप्ता
उप निबंधक : अनूपशहर
बुलन्दशहर

JBG International School

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner